

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +2291

सोमवार, 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

**टैक्सी ऑपरेटरों पर वैश्विक महामारी का प्रभाव**

+2291. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत सरकार ने भारत में पर्यटन क्षेत्र में कार्य कर रहे टैक्सी ऑपरेटरों पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रतिकूल प्रभाव पर कोई अध्ययन किया है;
- (ख) क्या भारत सरकार ने भारत में टैक्सी ऑपरेटरों पर वैश्विक महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)**

(क): भारत में पर्यटन क्षेत्र में कार्य कर रहे टैक्सी ऑपरेटरों पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने "भारत तथा कोरोना वायरस महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान और बहाली संबंधी नीतियां" विषय पर अध्ययन करने के लिए जनवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) को नियुक्त किया है। पर्यटन क्षेत्र पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था तथा घरेलू क्षेत्र में आय एवं रोजगार के क्षेत्रवार तथा समग्र नुकसान का आकलन करना इस अध्ययन के उद्देश्यों में शामिल है।

(ख) और (ग): पर्यटन मंत्रालय पर्यटन उद्योग की बहाली सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक कदमों और राहत उपायों के महत्व को स्वीकार करता है। भारत में यात्रा एवं दूर ऑपरेटरों सहित पर्यटन क्षेत्र को क्रमिक रूप से प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए उठाए गए कदम अनुबंध में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध

टैक्सी आपरेटरों पर वैश्विक महामारी का प्रभाव के सम्बन्ध में दिनांक 08.03.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +2291 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में विवरण

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- I. व्यवसाय की निर्बाध बहाली में सहायता के लिए होटल, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट/ होमस्टे और पर्यटन सेवाप्रदाताओं के लिए कोविड-19 सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी विस्तृत प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और दिनांक 8 जून, 2020 को जारी किए गए हैं।
- II. जिन होटल तथा अन्य आवास इकाइयों के परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन तथा वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण की वैधता अवधि समाप्त हो गई है/अथवा समाप्त होने वाली है उनके अनुमोदन अथवा प्रमाणन की वैधता 30 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है।
- III. मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान और उसके बाद होटल, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट तथा अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए जारी दिशा निर्देशों/एसओपीके कारगर कार्यान्वयन के लिए एसएएटीएचआई (सिस्टम फॉर एससेमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) नामक पहल की है।
- IV. यात्रा एवं आतिथ्य उद्योग के विभिन्न वर्गों के लिए लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशों जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।
- V. पर्यटन मंत्रालय द्वारा यात्रा एजेंटों, दूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों की मान्यता स्वतः छह माह के लिए बढ़ा दी गई है। जिन्होंने मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है उनके संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के पूरा होने तक उन्हें छह माह के लिए अस्थायी रूप से मान्यता प्रदान की गई है।
- VI. आतिथ्य उद्योग की इकाइयों सहित अर्थव्यवस्था एवं उद्योग की बहाली के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए उपरोक्त कदमों के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों/भारत सरकार के मंत्रालयों ने अनेक प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है जैसे ऋण पर स्थगन अवधि, पीएफ अंशदान में छूट, अक्टूबर 2020 तक टीसीएस का स्थगन, आत्मनिर्भर भारत-पैकेज आदि के अंतर्गत कॉलेटरल फ्री ऑटोमेटिक ऋण।

\*\*\*\*\*

